



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR
Phone & Fax 01378-227229 E-mail.-eepwdnarendranagar@ymail.com

पत्रांक ६४३ /६ एम०जी०

दिनांक- १९ / ०६/२०२०

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या ०६००/य००सी०पी०/०६/१८/२०१८/एफ०सी०/१७२० दिनांक १९.११.२०१८ एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रा संख्या १४२२/पी०एफ०/य०के०/रोड/१७४१७/२०१६ दिनांक- २९.११.२०१८

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयमत मार्ग निर्माण हेतु 1.33 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या ऑन लाइन अपलोड करने के पश्चात् हार्ड कापी (4 प्रतियों) में आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अनुपालन आख्या मय संलग्नक विधिवत् स्वीकृति हेतु अप्रसारित करने का कष्ट करें।

- शर्त संख्या-१ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा २.६६५० सिविल सौथम भूमि पर १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० ७,४१,२५०.०० वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है। इस कार्य हेतु चयनित सिविल सौथम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित की जा चुकी है।
- शर्त संख्या-२ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि रु० ११,२३,८५०.०० वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है।
- शर्त संख्या-३ के अनुपालन में एन०पी०वी० की दरों में यदि वृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा जमा की जायेगी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर लिया गया है।
- शर्त संख्या-४ का अनुपालन कर लिया गया है।
- शर्त संख्या-५ के अनुपालन में सङ्क क निर्माण के पश्चात् जहों-जहों सम्बद्ध हो सङ्क के दोनों किनारे तथा सेन्ट्रल यर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख-रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन की जायेगी, वी बधन बहुता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर लिया गया है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कृपया प्रकरण को विधिवत् स्वीकृति हेतु अप्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि-२४३०

प्राप्ति की तिथि २८/०६/२०२०

प्राप्ति की तिथि २८/०६/२०२०

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नरेन्द्रनगर

नवसंख्या १५
काइल नं. ८१६
दिनांक ०१.०१.२०२१

आदेश:

भारत सरकार पश्चिम बंगलादुष्ट परिवार के लिए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित
(उत्तर क्षेत्र) 25 सूत्राव रेड देहरादून के पत्र सं० ४३१ / पृ० ३०० दो० / ०६ / १८ / २०१८
/ एफ०सी०/१७२० दिनांक १०.११.२०१८ के द्वारा इडियो गृहालय के नरेन्द्रनगर जिल्हानामा होत्र
के अन्तर्गत कौड़ियाला रो गंगलसी तक गोटर गाँव के निम्नलिखित १.३३ हेक्टर वन भूमि पर गैर
वानिकी वार्गी के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्थी के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग
वृक्षारोपण हेतु याम तिमली के २६६ हेक्टर रियल गृणि को प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती को सम्बोधित अधिकारी अधियन्ता, निर्माण खण्ड लोकोन्नय०
नरेन्द्रनगर के पत्रांक १९३७/८ एफ०सी० दिनांक १८.१२.२०१९ में उल्लेख किया गया है, कि वन
भूमि हरसानारण प्रस्ताव गैरिक वृक्षारोपण हेतु याम गंगलसी के खाता रांच्या -१९ एवं
याम बड़ीर के खाता रांच्या-०५ की रियल गृणि का घण्य किया गया था, जिसनुसार वनभूमि
हरसानारण प्रस्ताव में टकान त्रुटियां याम गंगलसी के खाता रांच्या -१९ एवं याम बड़ीर के
खाता रांच्या -०५ के रखान पर याम तिमली खाता रांच्या-१९ एवं खाता रांच्या-०५ अधिकारी हो
गया था। प्रभागीय नवायिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग गुनिकीरेती के पत्रांक -१७७८ / १२ -
१(२), दिनांक मुनिकीरेती, १८.१२.२०१९ के द्वारा अधिकारी अधियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण
विभाग नरेन्द्रनगर के अनुरोध पर याम तिमली के रखान पर याम गंगलसी के खाता रांच्या-१९
एवं याम बड़ीर के खाता रांच्या-०५ की भूमि को वन विभाग के पक्ष में हरसानारित
/ नामान्तरित वर्गों की संलग्नति की गयी है। याम गंगलसी पट्टी दोगी के खतीनी खाता
रांच्या-१९ के खारारा नम्बर १९१५ रखा ०.८१७ हेक्टरसारा रांच्या-१९३९ रखा ०.८१७ हेक्टर
रखा ०.६५० हेक्टर तथा रांच्या-१९५८ रखा ०.४३१ हेक्टर युक्त रखा २.०६५ हेक्टर में से १.८९८ हेक्टर
व याम बड़ीर पट्टी दोगी के खतीनी खाता रांच्या-०५ के खारारा रांच्या-८२६ रखा ०.८०२
हेक्टर अर्थात् युक्त रखा २.७० हेक्टरियल गृणि (उत्तराखण्ड राजकार के स्पायिल) वन हरसानारण
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में किये जाने के बास में नायब तहसीलदार पावकी
देवी के पत्र संख्या-१२८/२०१०(भूमि छरता०)-२०१०, दिनांक पावकी देवी, २८ जूलाई २०१० गर
उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पृष्ठांत्रिक दिनांक ०३ जूलाई २०१९ एवं नायब तहसीलदार
पावकी देवी के पत्र संख्या-५५/२०१० (भूमि छरता०)-२०१०, दिनांक पावकी देवी,
३१ दिसम्बर २०१९ पर उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पृष्ठांत्रिक रास्तुति दिनांक ०१.०१.२०२०
के द्वारा उप तहसील पावकी देवी की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

याम	पट्टी	खाता रांच्या	खसरा रांच्या	अर्जित रखा(हेक्टर)	भूमि की किस्म
१	२	३	४	५	६
गंगलसी	दोगी	१९	१९१५	०.८१७	उत्तराखण्ड राजकार वर्ग ९(३)इ.
			१९३९र्म०	०.६५०	
			१९५८	०.४३१	
बड़ीर	दोगी	०५	८२६	०.८०२	
			योग-	२.७० हेक्टर	

प्रस्तावित कौड़ियालय-गंगलसी गोटर गाँव के निम्नलिखित हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के
दृष्टिगत शासनादेश रांच्या -२००२/XVIIIIIII/ ११-१८(१२०)/२०१० राजरख अनुभाग-२ दिनांक
११ नवम्बर २०११ एवं शासनादेश रांच्या -२३६५/XVIIII(II)१३-१८ (१२०)/२०१० टी०सी० दिनांक
१४ अक्टूबर २०१३ के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल
गृणि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्त्तित किया जाना है। यह आदेश मात्रा उच्चतम न्यायालय/मात्रा
के निर्माण आदेश वन अनुपालन करना होगा।

Photo Copy Attested

Signature
Architect Engineer
Construction Division
PWD, Haridwar Nagar

J.L.T.

Scanned with CamScanner

(2)

अलएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010राजस्व
प्रिये पर्याप्त गणजनारी पट्टी दोगी के स्थानीय साता संख्या-19 के खसरा नम्बर 1915 रखा
0917 है। खसरा संख्या-1939 पर्याप्त रखा 0.050 है। न सरारा संख्या—1958 रखा 0.431 है।
कुल रखा 1.698 है। यथा बड़ी पट्टी दोगी के स्थानीय साता संख्या- 05 के खसरा संख्या—
828 रखा 0.002 है। कुल रखा 2.70 है। (दो दशमलव सात शून्य है) खेणी 9(3)इ (राजस्व
प्रिया के नियन्त्रणातीन) लिखित भूमि उत्तिष्ठित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के
प्रतिक्रिया वन किमान उत्तराखण्ड के पक्ष में शांतिपूरक चूकारोपण हेतु अन्वरित की जाती है। नायब
तहसीलदार पावकी देवी तत्काल उत्ता भूमि को राजस्व अग्निलेखों में नामान्तरित / इन्दाजी
करना भूमिरिच्छत करे।

(ठाठवी०पणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
संख्या- ३२५ /पा-६५(२०१८-१९)दिनांक, नई टिहरी, दिसम्बर, १०, २०१९
प्रतिलिपि:- जिम्माकिता को शूद्धनार्थी एवं आपश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१- सतिव, वन किमान उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
२- आमुक्त एवं राशिय राजस्व परिषद देहरादून।
३- आमुक्त गढ़वाल गढ़वाल पौड़ी।
४- नोडल अधिकारी, वन भूमि इस्तान्तरण वन किमान उत्तराखण्ड देहरादून।
५- प्रायानीय बनायिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रायान मुनिकीरेती।
६- अधिकारी अधिकारी, नियुक्त लोगोंविधि नरेन्द्रनगर।
७- उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर।
८- नायब तहसीलदार पावकी देवी जो अनुपालननार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

लै. दस्तावेज़ / दूष्प्राप्ति गुहाकारोत्तेरी / अग्नि०
10/11/2010
10/11/2010

PW.10 Copy Attested
A/C Engineer
Construction Division
CEN/CD, Head Office Nagpur
RWD, Maharashtra

Scanned with CamScanner

ज० विच २० अप्रौढ़ी जाह्नवी वर्ष १४२६ से १४३१ तक भा-आम बगलसी-पट्टीदेशी उत्तराखण्ड									
नगर परिषद नं ११ देशी १५२० वर्ष									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१७	उत्तराखण्ड सरकार	रुपा	१७	०.४७					
कर्ग दृष्टि और		कर्ग	२५	०.४६।					
प्रीत्यवाय श्रमि		रुपा	२७	०.०८०					
		रुपा	६६	०.२३०					
			रुपा						
			११।।	१४३८					
			११५	०.८।।					
			११८	०.०३०					
			रुपा	रुपा					
			१३९०.८।।						
			१०५८	०.४२।					
			१९६।	०.११।					
			१९६४	०.४४।					
			रुपा	रुपा					
			५६०।०.३५।						
			५६३।०.२५।						
			५६३३।०.२५।						
			प्रोत्संहार २४६	१०१.६०।					

मुख प्रांदिमा नीमान बिलाविकार महोसूस दिए
उत्तराखण्ड के लोकों से उत्तराखण्ड (य०४१०-११) दिनांक
नई दिल्ली दिसम्बर ६, इलाहाबाद देशी लग्जरी रूपा १४८२ अग्री
(११०१-१८) (१२०) १०१० राजस्व अमृतम-२ दिनांक ११ अग्री
एवं ब्राह्मणोदय स०१२३६५। अग्री (१२०१-१८) १०१० यी ग्रामदिग्द
१५ ओम्पुर्व अग्री के दाया प्राप्त कर्म नवमी उत्तराखण्ड अग्री सीधी
ब्लैडी रखता रुपा १७ से एक्स्ट्रा (न० ११५ रुपा) ०.४४। है १३७ अग्री
०.६५० व १९५८ रुपा ०.४३। है उत्तराखण्ड रुपा ०.४३। है उत्तराखण्ड
१३१ डॉ सीविल अमृतम नव निमान उत्तराखण्ड के पक्ष में
क्षतिपुरुष हुआ एप्प केन्द्र मन्त्रित की जाती है।

अमृतम रुपा ०.४३। है उत्तराखण्ड
३५०० रुपा ०.४३। है उत्तराखण्ड
रुपा ०.४३। है उत्तराखण्ड

अस्तु से तैयारी की गयी
जोकार शिल्प रावत २५०५२२२
उत्तराखण्ड एवं नीमा नियम
संघीय H.A.P.M. द्वारा दिल्ली
बिला दिल्ली गवाल

Printed Copy Attest

Anil Kumar Srivastava
Commissioner-in-Charge
PWD Head Office Nagpur

Challan

AGENCY COPY	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Date : 29-03-2019	
Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PFI Application No.	6117417837
MoEF/SG File No.	ED/UCP/06/18/2018/TC
Address.	E E C D P W D Haridwar Nagar Tehsil Garhwal
Beneficiary Contact No., Email Id., Mobile No., Landline No.	aspwdrnarendranagar@gmail.com 7895715175 1378-227229
Amount(Rs.)	1865100/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lohli complex (0371)
Amount in Words : Eighteen Lakh Sixty-Five Thousand One Hundred Rupees Only	
Depositor Signature (Signature)	Bank Official (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INR/DO.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1.
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2.
- This challan is valid only for seven days.

CAMPA/MoEF Copy	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Date : 29-03-2019	
Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PFI Application No.	6117417837
MoEF/SG File No.	ED/UCP/06/18/2018/TC
Address.	E E C D P W D Haridwar Nagar Tehsil Garhwal
Beneficiary Contact No., Email Id., Mobile No., Landline No.	aspwdrnarendranagar@gmail.com 7895715175 1378-227229
Amount(Rs.)	1865100/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lohli complex (0371)
Amount in Words : Eighteen Lakh Sixty-Five Thousand One Hundred Rupees Only	
Depositor Signature (Signature)	Bank Official (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INR/DO.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1.
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2.
- This challan is valid only for seven days.


BANK COPY	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Date : 29-03-2019	
Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PFI Application No.	6117417837
MoEF/SG File No.	ED/UCP/06/18/2018/TC
Address.	E E C D P W D Haridwar Nagar Tehsil Garhwal
Beneficiary Contact No., Email Id., Mobile No., Landline No.	aspwdrnarendranagar@gmail.com 7895715175 1378-227229
Amount(Rs.)	1865100/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lohli complex (0371)
Amount in Words : Eighteen Lakh Sixty-Five Thousand One Hundred Rupees Only	
Depositor Signature (Signature)	Bank Official (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INR/DO.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1.
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2.
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampaf@corpbank.co.in

Print Back

Photo Copy Attested


 Assistant Director
 Construction Division
 PWD, Nanital, Naga



Scanned with
CamScanner

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर मे कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-03 के अनुपालन मे यदि एन०पी०वी० की दरों से वृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा जमा की जायेगी।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर मे कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—05 के अनुपालन मे सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ—जहाँ सम्भव होगा सड़क के दोनो किनारे तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण (लोक निर्माण विभाग) के द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख—रेख मे स्ट्रीप प्लान्टेशन की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, P.W.D., NARENDRANAGAR
Phone & Fax 01378-227229

E-mail-eepwdnarendranagar@ymail.com

पत्रांक 1996 / 15 लौ०

दिनांक: ३१ / १२ / २०१९

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०निर्मि०,
नरेन्द्रनगर।

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी मोटर मार्ग हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक-1076 / 27 सी० दिनांक 23.09.2019 एवं पत्रांक 1089 / 26 सी० दिनांक 27.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कौड़ियाला गंगलसी मोटर मार्ग, जो स्टेज-1 के कार्यों हेतु प्रायः साढ़े योजना के अन्तर्गत स्थीकृत है, की वर्तमान स्थिति के साथ सभी सूचनायें जैसे जमीन/फसल आदि के मुझे की फाइल प्लेन टेबल आदि प्रेषित की जानी है, के क्रम में उक्त मार्ग का हस्तान्तरण संलग्न KEY PLAN के अनुसार प्रायः ABCD भाग आपको निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया जाता है।

क्रम सं०	की-स्लान में दर्शाया गया का भाग	हस्तान्तरण का विस्तृत विवरण
1	A से B	मार्ग का यह भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 / 07 के किमी००२६७ से प्रारम्भ हो कर किमी०१० लम्बाई में आरक्षित बन भूमि से हो कर जाता है, जिसकी बनभूमि हस्तान्तरण-सेहानिक स्थीकृति प्राप्त है (प्रति संलग्न)। इस भाग में मार्ग निर्माण का कोई कार्य करवाया गया है। यह मार्ग आपको हस्तान्तरित किया जाता है।
2	B से C	इस खण्ड के अन्तर्गत इस भाग की कोई स्थीकृति प्राप्त नहीं है तथा न ही कोई कार्य करवाया गया है।
3	C से D	यह मार्ग (बुगाला-संसमण मोटर मार्ग) राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश 2085 / 111(2) / 2017-11(एम.एल.ए.) / 2017 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा 5.00 किमी० हेतु स्थीकृत है, जिस पर वर्तमान में अनु० सं०-13 / एस०ई०-८ / 2018-19 दिनांक 18.07.2018 के अन्तर्गत ठेकेदार श्री ओम प्रकाश उनियाल तथा एवं श्री विजेन्द्र सिंह रावत (JV) किमी० 5.00 किमी०१० लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आवश्यक में दीवार निर्माण का कार्य किया गया है। स्कपर निर्माण का कार्य नहीं करवाया जा रहा तकि अनुबन्ध का अनिवार्यकरण समय पर किया जा सके। अनुबन्ध के अनुसार कार्य समय तिथि 17.01.2020 है। ठेकेदार को उक्त तिथि तक डिफैक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण करने लिखा गया है, जिस पर कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी अवगत करवाया था कि यदि अनुबन्ध का अनिवार्यकरण कार्य समाप्ति की तिथि से पूर्व किया जाता ठेकेदार विभाग के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाही कर सकता है। अतः इस भाग को दिनांक 01.2020 या डिफैक्ट कटिंग का कार्य जल्दी समाप्त होने पर इस तिथि से पूर्व पूर्ण आपको हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

अतः आपको ABC वाले भाग को इस पत्र के माध्यम से हस्तान्तरण किया जा चुका है तथा C से D वाले भाग संलग्न- यथोपरि।

(इ० मौ० ऑरिक खान)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०निर्मि०, नरेन्द्रनगर।

31/12/19

राज सरकार
पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
दोनों कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुमाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० ०८वी/य०सी०पी०/०६/१८/२०१८/एफ०सी०/ 172०

दिनांक: १९/११/२०१८

अपर मुख्य सचिव (वन)

उत्तराखण्ड शासन

सुमाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - ठिहरी गढ़वाल के विधानसभा होव कोडियाला से गंगलखेती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
1.33 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनी।
सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-
2395/FP/UK/ROAD/17417/2016 दिनांक 17.01.2018
नहोदय

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/17417/2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के संबंधित पत्र का अंकलीकरण करते हुए इसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लाइ-2 के महत्वपूर्ण बीमांशु भागी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रजनन प्रकरण पर इयानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद- ठिहरी गढ़वाल के विधानसभा होव कोडियाला से गंगलखेती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सौदानितिक स्वीकृति निम्नलिखित रातों पर प्रदान करती है-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के देखे 2.68 हेतु यान-लिमिटी-सिविल सौधम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उसे भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि जैसे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय को विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की विधारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतारी होती है, तो वही हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रदान करता प्रस्तुत की जाए। अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की सौदानितिक अभिकरण द्वारा वर्धन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) लो वैव पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के मुद्द्यम द्वारा उचित औनलाइन बैंक में जमा किए जाएं। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सौदानितिक स्वीकृति की अनुमालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. लड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां तर्फ हो सड़क के टोगों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वर्तन इहला प्रक्रिया करनी होगी।

कानूनी प्राप्ति
19/11/18

शर्तों के परिपूर्ण एवं निर्मुक्त तुल्यता परिषालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिकार की जाए। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी ली जाएगी। कृपया अपूर्ण परिषालन आख्या इस कार्यालय को अपहार्ता तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेरित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाएगी—

1. वन भूमि की विधिवत् अधिकारियता बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अनुरूप बढ़ोतासी होती है तो प्रयोक्ता अधिकारण इदी देहों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपयोगित 266 है। गम-तिगती सिविल एवं सौयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन प्राप्ति किया जायेगा तथा नौडल अधिकारी द्वारा अप्रिसुचना की एक प्रति दिनांक कार्यालय को प्रेरित भी जाएगी।
4. प्रयोक्ता अधिकारण ने विधिवत् वन भूमि के असुन्यात वज्रदर्श स्टीम के लिये जिसी भी प्रकार का लेवर कम्पनी द्वारा लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अधिकारण प्रत्येक वर्ष में विधिवत् वन भूमि का घार फीट छंचे अस्तरसी 10 सी। 10 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forwarded वा Back bearing अकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकारण के द्वारा नियम अनुसार के दीरोन स्थल पर कार्यरत मंजदूरी एवं स्टीम के लिये रसोई गैरिज/कठोरियन रोल-की अधिकारियत अनुसारी जिससे विकाटपूर्ण बनों को बहिरंग में प्रवृच्छी।
7. परियोजना की नियमित वर्त्तन तथा विवरण के द्वारा आसुन्यात के द्वेष की वनस्पतियां एवं जीव-जन्मुओं को किसी प्रकार की खोते नहीं भेजायेगा।
8. वन भूमि का प्रयोक्ता अधिकारी ने दीरोन स्थल पर कार्यरत मंजदूरी एवं जीव-जन्मुओं के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिविष्ट अन्य वर्षों की भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पास में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के लिये अनुमति दी जायेगी।
9. कम से कम दोहों जा कर्टन वापास किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 83 से अधिक न हो।
10. सरकार विधिवत् वन भूमि को अनुसार लाने वाले रसोई वा विकाटपूर्ण General Verge वर्त्तन अधिकारण द्वारा अधिकारियत अप्रयोक्ता भूमि की विधिवत् विवरण की दीरोन रेल में डायरेक्टिविलेशन की जाएगी।
11. परियोजना नियमों के वर्त्तन विवरण को नियमानुसार प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा प्रस्तुत मलया निरतारण योजना के अनुसार प्रभारीय वनाधिकारी द्वारा विवरण एवं निर्दिष्ट अवलों के अलावा अन्यत्र मलया नहीं फैला जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/विधान/विधानसभा आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन अवलों अनुसारी लेना-रखने सारका 2 अप्रैल वा 10 सी. की विधेयादी होगी।
13. ऐसी अन्य वर्त्तन जी शर्त जी कि भारत सरकार भूमि में प्रयोक्ता वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझौते।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दो गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

मंदिरीय

कमल पीत

देव संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रिया पर्यावरण भवन, जोरदार रोड, अलीगढ़, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नौडल अधिकारी, वन संरक्षण, हिमालय नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

)
(कमल पीत)

देव संरक्षक

पत्रांक : 1996/15 दृष्टि तारीखनामः

—2—

01/26 दृष्टि
4-01-2020

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— दुर्जन अभियन्ता, (गोदी) लोक निर्माण विभाग, पौडी।
- 2— दुर्जन अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०याई० (गोदी) उत्तराखण्ड (देहरादून)।
- 3— अधीक्षण अभियन्ता, ४वीं वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
- 4— अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०याई० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मसूरी।
- 5— राहायक अभियन्ता (मुनिकीरती) निर्माण खण्ड, लो०नि०यि०, नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि, पी०एम०जी०एस० खण्ड के सम्बन्धित राहायक अभियन्ता को मार्ग उक्तानुसार हस्तगत करना सुनिश्चित करें।
- 6— श्री अनुप कुमार सकलानी कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०यि०, नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि, पी०एम०जी०एस०याई० खण्ड के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को मार्ग हस्तगत करना सुनिश्चित करें।
- 7— श्री शूरदीर सिंह रमेला, अग्नीन, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि, मार प्रतिकर वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 8— श्री ओम प्रकाश उनियाल तथा एवं श्री विजेन्द्र सिंह रावत (JV) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 17.01.2020 पूर्व डिफैक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा उक्त तिथि के बाद मार्ग पर किसी भी प्रकार का कार्य न किया जाय।

26 दृष्टि

RKC

पत्रांक

01/26 दृष्टि १६० ४/०१/२०२०

निर्माण खण्ड, लो०नि०यि०, नरेन्द्रनगर।

अधिकारी अभियन्ता

३१/१२/१९

प्रतिलिपि— द्वायक अभियन्ता हिन्दी
को सूचनार्थ हवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

अभियन्ता,

प्रतिलिपि— (का०अ० C प्रा०)

३१/१२/१९


प्रारूप-8


परियोजना का विवरण— जनपद ठिकाने गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 2.00 किमी)

प्रपत्र संख्या-8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्व आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर परियोजना को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाना है, तथा आस-पास की विभिन्न प्रकार की भूमि को मिन्न-2 निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया जाना है तथा इनका विवरण संकेत तालिका में भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। निर्धारित रंगों का विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के प्रकरणों में क्षेत्र में विद्यमान सड़कों का नेटवर्क तथा प्रस्तावित मार्ग जिस पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो रहा है, को भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

1. आरक्षित वनभूमि को हरे रंग से।
2. सिविल एवं सोयम भूमि को पीले रंग से।
3. वन पंचायत भूमि को नीले रंग से।
4. संरक्षित वन भूमि को भूरे रंग से।
5. नाप भूमि को अन्य किसी रंग से।

(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)



कैनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०पि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०पि०
नरेन्द्रनगर।


अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०पि०
नरेन्द्रनगर।

**डिजिटल मैप :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु**

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

इन्हीं वनाविकासी
बरेनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेली


उप प्रभागीय वनाविकासी
बरेनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेली

उप विभागीय
बरेनगर
कालिलाला

टिहरी - इलाहा

**डिजिटल मैप :— जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु**

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

हन बाजारिकार
शिवपुरी गन उपजि
नरेन्द्रनगर दन उपग
मुनि की रेती


उप गमारीक फाविकारि
नरेन्द्रनगर उप दन प्रबन्ध
मुनि की रेती

टिहरी गढ़वाल
नरेन्द्रनगर

अप जिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल

**डिजिटल मैप :- जनपद ठिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु**

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

Assistant Engineer
Construction Division, P.W.D.
Narendra Nagar, Munikir

अपर जिलाधिकारी
ठिहरी गढ़वाल।

SDM
NARENDRA NAGAR

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

इन वनाधिकारी
शिवपुरी वन वाति
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
भूमि की नेवी

Scale - 1:10,000

नियमित रूप से अवश्यक कीटों का नियन्त्रण करने वाली जलधारा का ग्रामपाल का नियन्त्रण

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

प्रतिहस्तासुरित

अपर लिलिकारी
हिंहरी गदाचाल।

चुप प्रभागीय यनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरनननगर यन प्रभाग।

GPS Point Of Road
Muck Disposal Point

Proposed Road
Existing Road

S.no.	Longitude	Latitude
1	78°29' 34.242" E	30°4' 28.691" N
2	78°29' 36.654" E	30°4' 32.370" N
3	78°29' 35.238" E	30°4' 31.336" N
4	78°29' 34.190" E	30°4' 36.274" N
5	78°29' 29.881" E	30°4' 40.101" N
6	78°29' 24.251" E	30°4' 42.282" N
7	78°29' 17.682" E	30°4' 43.476" N
8	78°29' 10.706" E	30°4' 45.630" N
9	78°29' 2.868" E	30°4' 49.264" N
10	78°29' 3.481" E	30°4' 54.467" N
11	78°29' 7.312" E	30°4' 58.896" N
12	78°29' 9.673" E	30°5' 4.164" N

Muck Disposal Point

A

78°29' 10.200" E 30°5' 4.000" N

90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m

नरनननगर यन प्रभाग
बाटन भी-लोही
बरेननपर बाट प्रभाग
नरनननगर यन प्रभाग
कारो
प्रभाग-
बरेननपर बाट प्रभाग
पनि-भी-लोही

Narendra Nagari Municipality

90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m

90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m


नरनननगर यन प्रभाग
बाटन भी-लोही
बरेननपर बाट प्रभाग
नरनननगर यन प्रभाग
कारो

90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m

90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m 90m

**डिजिटल मैप :- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल**

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

बन जिलाधिकारी
 शिवपुरी बन गजि
 नरेन्द्रनगर बन प्रभाग
 भुनि की रसी

जप जिलाधिकारी
 नरेन्द्रनगर उप बन प्रभाग
 भुनि की रसी

स्थान कोड
 नरेन्द्रनगर
 टिहरी गढवाल

स्थान कोड
 नरेन्द्रनगर
 टिहरी गढवाल


स्थान कोड
 नरेन्द्रनगर
 टिहरी गढवाल

प्राजिता फैब्रिकेशन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गोडाल की कौमुदी गढ़वाल से गंगलसी खोटर मार्ग के निर्माण हेतु
पर्यावरण विभाग की द्वारा देखा गया एक खण्डन



प्राजिता फैब्रिकेशन्स प्रोजेक्ट
गंगलसी गढ़वाल

नियोरेक्टरस फैप - जनपद इच्छी ग्राम्याल के अन्तर्गत कोडियाला से गांवलसी गोटर गांव के नियोर




Scale = 1:12,000

78°29'30"E

78°29'30"E

78°29'30"E




S.no.	Longitude	Latitude
1	78°29' 26.169" E	30°5' 44.830" N
2	78°29' 27.347" E	30°5' 42.657" N
3	78°29' 28.819" E	30°5' 41.349" N
4	78°29' 31.233" E	30°5' 40.236" N
5	78°29' 33.650" E	30°5' 40.977" N
6	78°29' 35.194" E	30°5' 41.509" N
7	78°29' 33.428" E	30°5' 42.789" N
8	78°29' 30.794" E	30°5' 44.098" N
9	78°29' 29.755" E	30°5' 45.305" N
10	78°29' 27.931" E	30°5' 45.261" N
11	78°27' 52.729" E	30°5' 33.031" N
12	78°27' 54.956" E	30°5' 34.798" N
13	78°27' 53.569" E	30°5' 35.892" N
14	78°27' 52.312" E	30°5' 37.230" N
15	78°27' 49.489" E	30°5' 35.849" N
16	78°27' 50.551" E	30°5' 34.874" N

प्रतिक्रियाकृति

अपर प्रिलादिकारी
ठिहरी गढ़वाल।

उप प्रमणीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
श्रीनगर वन प्रभाग

● GPS Co ordinates
■ Proposed Ca Land



N.06.5.00

N.06.5.00

क्षमिता बालिका
निवासी वन विभाग
श्रीनगर वन प्रभाग


संसदीय विधायिका
श्रीनगर वन विभाग
श्रीनगर वन प्रभाग

नियोर जिलाधिकारी
श्रीनगर वन विभाग
श्रीनगर वन प्रभाग

Assistant Engineer 707283007 707283007
Construction Division, Distt. Narendra Nagar, Muzaffarnagar

4

डिजिटल मप :— जापुद हिंडरी गढ़वाल के अन्तर्गत कोडियाला से गंगलसो गोटर मार्ग के निम्न त्रिभुवन



प्रारूप-30

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

Dated---- 02/01/16.

No--- 1050 / xxvi - 105 (2015-16)


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.33 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D. Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Kaudiyala to Gangalsi Village in Narendra Nagar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.10.....to ...annexure 30.4.....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


 Signature
 (Mrs Jyoti Nagesai Kherwal)
 District Collector
 Tehri Garhwal

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Tehri Garhwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
 schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights)
 act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs Jyoti Neeraj Kherwal I.A.S deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated 02/01/2016 Tehri in which application claiming rights in Forest area measuring 1.33 hect for the construction of Kaudiyala to Gangalsi Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narendra Nagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Tehri
 Dated : 02/01/2016


 Deputy Commissioner cum Chairman
 District Level Committee
 जिलाधिकारी
 टिहरी गढ़वाल।

It Further certified that- Minutes of Meeting of Construction of Kaudiyala to Gangalsi Motor Road (Length 2.00 Km) regarding FRA is as following:

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.33 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D.Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwāl district falls within jurisdiction of Kaudiyala to Gangalsi village in Narendra Nagar Tehsil.

S.N.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..30:10.....to ...annexure..30:4.....	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी ज़िले के में
सुमन पुण्डर
सम्पादित पंचायत
47 घोर चूटी वेली
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रधानीय समाजिकारी
नरेन्द्रनगर याम प्रशासन
मुनिकोरिती

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(अयोति नीरज खेरवाल)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारूप-30.2

परियोजना का विवरण:- जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 2.00 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति - तहसील नरेन्द्रनगर

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के (लम्बाई 2.00 किमी) निर्माण हेतु (1.050 हेठो आरक्षित वन भूमि, 0.280 हेठो सिविल एवं सोयम वन भूमि तथा 0.070 हेठो नाप भूमि अर्थात् कुल 1.38 हेठो वन भूमि) का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1- श्री <u>लक्ष्मी प्राजन चौधरी</u> | उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>कृष्ण पाठ बहादुर</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य |
| 3- श्री <u>कुमार लक्ष्मण</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य / सचिव |
| 4- श्री <u>प्रियंका कुमारी</u> | बीठोडी सदस्यी क्षेत्र - सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.38 हेठो वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुशंसा के साथ समझ रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समझ रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा किसी भी अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मुनिकीरेती परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.38 हेठो वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - नरेन्द्रनगर
जनपद - टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - नरेन्द्रनगर
जनपद - टिहरी गढ़वाल
उप जिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप

आज दिनांक ०२/११/१५ को राज्य योजना के अन्तर्गत कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग निर्माण हेतु भू उत्साहानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार सभिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मी शर्मा चौधार्य	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	लक्ष्मी शर्मा नरेन्द्रनगर
2	श्री डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकोरिटी	डी.पी. बलोनी प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकोरिटी
3	श्री रमेश कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई ठिहरी	रमेश कुमार समाज कल्याण अधिकारी
4	श्री रामा देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत प्रमुख नरेन्द्रनगर	रामा देवी बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत प्रमुख

प्रारूप-30.3

परियोजना का विवरण:- जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 2.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - बड़ीर
तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र



उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.050 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.280 हेतु सिविल सोयम भूमि, एवं 0.070 हेतु नापभूमि) अर्थात कुल 1.30 हेतु वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़ीर द्वारा दिनांक [redacted] को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधिकों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा तिमली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर को कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जिला पंचायत सदस्य
२५३९८
सुमन पुण्डोर
सदस्या जिला पंचायत
४७ बड़ीर मस्ती बड़ी
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल





प्रारूप-30.4

दिनांक 25-7-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- बड़ीर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	बलवाल / लैटु	बलवाल सिंह
2	विरह-द्वारा सिंह	विरह-द्वारा
3	विना / देवी	विना देवी
4	मुर्दांडु / लैटु	मुर्दांडु
5	नारायण / लैटु	नारायण सिंह
6	ठाँगा / लैटु	ठाँगा लैटु
7	विजय / लैटु	B-S-Pawar
8	विलाल / लैटु	B.S. Pawar
9	श्रवनोद / लैटु	श्रवनोद सिंह
10	ओमराव / लैटु	उमराव / लैटु
11	प्रभाल / लैटु	प्रभाल / लैटु
12	मुमाल / लैटु	मुमाल / लैटु

		कुलदाप सिंह
13	कुलदाप सिंह	
14	बृज कुमार	कुलदाप
15	गिरवेंदर सिंह	गिरवेंदर
16	विजय कुमार	विजय
17	सिलरवाला बीहू	सिलरवाला
18	कान कुमार	कान
19	श्रीवामी	श्रीवामी
20	हुकम सिंह	Hukam Singh
21	सुन्दर सिंह	सुन्दर
22	मोहन सिंह	Mohan Singh
23	विक्रम सिंह	Vikram Singh
24	धिरेन्द्र सिंह	धिरेन्द्र
25	दम्पान सिंह	दम्पान
26	कितन सिंह	कितन
27	करण सिंह	करण
28	मनोहर सिंह	मनोहर
29	उम्मेद सिंह	उम्मेद

30	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
31	रामेश रेह	रामेशरेह
32	चुम्हाई	चुम्हाई
33	भगवान रेह	भगवानरेह
34	जीतार मिंह	जीतारमिंह
35	टेक्का मिंह	टेक्कमिंह
36	बणवीर मिंह	बणवीरमिंह
37	उनसाहिं	उनसाहिं
38	मातवर लिंह डाँ हवाण सिंह	मातवरलिंहडाँहवाणसिंह
39	बलवत सिंह डाँ हवाण सिंह	बलवत्सिंहडाँहवाणसिंह
40	वेन सिंह डाँ सुदर सिंह	वेनसिंहडाँसुदरसिंह
41	विरेन्द्र सिंह डाँ भदन सिंह	विरेन्द्रसिंहडाँभदनसिंह
42	महिपाल सिंह डाँ सुदर सिंह	महिपालसिंहडाँसुदरसिंह
43	रविन्द्र सिंह थाँ होशीयार सिंह	रविन्द्रसिंह
44		



નકલ રવસર ચૂઅ - ડાંગાલ્પી પર્દી - ફોરી તદ્વારા - નેત્રોભાઈ
ચિલા) - ફિ જા, 1423 ફોર્મ દા -

રહણ રુપો	દિન	જાત	સ્વાધીન કાર્ય નામ	પ્રતીક્રિયા કાર્ય નામ	સાહિત્ય રક્ષણ	ચિલા
1915	0.817	19	ઉત્તરખંડ - સાંકા	બન વિગત, જા ફિ જા	0.817	ચૂઅ - ડાંગાલ્પી કાર્યક્રમાન્ય જીથી માત્રા/બાળ નું હચ્છિમાટ એ ગ્રામાન્યાંદ્રી,
1939	0.817	19	નાની ચીયડી.	—/—	માટો 0.650	
1958	0.431	19	—/—	—/—	0.431	
—	—	—	—/—	—/—	—/—	
યोગ 3	2.065	—	—	—	1.898	

દાંગાલ્પી

દાંગાલ્પી
દાંગાલ્પી
11/9/15

(11) १९७८-१९७९ (खण्ड एक)

४५

२०

२०

१९७८-१९७९ (खण्ड दो)

४६

१९७८-१९७९ (खण्ड दो)

२५

१५

१९७८-१९७९

१०

१९७८-१९७९

१०

१९७८-१९७९

१९७८-१९७९

१९७८-१९७९

१९७८-१९७९

५

१९७८-१९७९

१९७८-१९७९

१९७८-१९७९

१९७८-१९७९

१९७८-१९७९

वार्षि ५८०) - दृष्टि १८०

जिला - रुद्रप्रयाग ज़िला - अस्सी - किंवद्दि लक्ष्मीनगर - नरेश्वर
जिला - अस्सी अवाल,

क्रमांक	रकम	खाता हर्ष	प्राप्तिक्रिया	रकम	प्रतिक्रिया
४२६	०.८०२	०५	उल्लंघन वर्षा दृष्टि ३० ड.	बर्ताविकार	०.८०२
४२७	०.८०२	-	—	—	०.८०२

तुम्हारी

लिखा

लेखा बहुमणि

लक्ष्मीनगर

लक्ष्मीनगर

१११९/१५

ફાઈલ નં - ૦૩ - ૧૪૦૩૭૦ - નિર્માણ - અસ્થાય - વિશે - આનુભૂતિ - બાળ પ્રદીપ

૫	સાંકા	૦૧	૫	૦.૧	૧૩૬૦
૬	સ. (૩)	૨	૨	૬૪૫૦	
૭		૩	૩	૦૩૬૬	
૮		૪	૪	૦	
૯		૧૦	૧૦	૦૦૦૯	
૧૦		૧૭૦	૧૭૦	૦.૦૧૬	
૧૧		૬૦૩	૬૦૩	૦૦૦૦૫	
૧૨		૬૦૪	૬૦૪	૦૦૦૨	
૧૩		૧૧૦૧	૧૧૦૧	૦૦૦૩	

૩૦
૩૧
 $\sqrt{૧૨૬૦૮૦૨}$

૩૫

૪૦

૪૫

૪૭

૪૬ ૧૧/૧૧/૧૪ ૦૨ ૩૭૩૭૧ ૧૧/૧૧/૧૪
ફાઈલ નં - ૦૩ - ૧૪૦૩૭૦ - નિર્માણ - અસ્થાય - વિશે - આનુભૂતિ - બાળ પ્રદીપ

ફાઈલ નં - ૦૩ - ૧૪૦૩૭૦ (આરોડો) ૦૩ રાઠઘરી / ૨૬-૩૦-૦૫-૨૦૧૪-૩૦,૦૦૦ ફાર્મ (કાન્સિટીન્સ એન્ડ કોર્પોરેશન)

प्रमाण-पत्रः

अधिकारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के पत्रांक 3123/6 एम०जी० दिनांक 21.12.2015 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत प्रस्तावित कोडियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.050हेठो आरक्षित वन भूमि एवं 3.892हेठो सिविल सोयम कुल 1.33हेठो वन एवं सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

आरक्षित वन भूमि का विवरण—

जिला	प्रभाग का नाम	वन राजि	वन ब्लाक	लम्बाई (कि०मी०में)	चौड़ाई (मी०में)	क्षेत्रफल (हेठोमें)
01	02	03	04	05	06	07
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	शिवपुरी रेज	सिंगटाली कक्ष संख्या 10	1500.00	7.00	1.050
			योग			1.050

सिविल सोयम भूमि का विवरण—

तहसील	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	आवेदित क्षेत्रफल (हेठोमें)
01	02	03	04	05	06
नरेन्द्रनगर	बड़ीर	दोगी	05	1255 1394 1395	0.12 0.08 0.08
			योग		0.28

इस कार्यालय के आदेश संख्या—81/5-27 दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम बड़ीर की असिंधित भूमि का मूल्य रु 8,50,000.00 (आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र) प्रति हेठो निर्धारित है। इस प्रकार नरेन्द्रनगर की प्रस्तावित 1.050हेठो आरक्षित वन भूमि एवं 0.28हेठो सिविल सोयम कुल 1.33हेठो वन एवं सिविल सोयम भूमि का मूल्य 11,30,500.00 (ग्यारह लाख तीस हजार पाँच सौ रुपये) आंकित किया जाता है।

प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार हस्तान्तरण हेतु भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

क्रमांक— १०५८। ४४७-१०८। २-१२-१६)

दिनांक— ०२। ०। १। ६

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

② प्राचीन लेन्डिंग रिपोर्ट
उत्तराखण्ड लेन्डिंग रिपोर्ट
जून 2005 की लेन्डिंग

लेन्डिंग संख्या	लेन्डिंग का विवर	लेन्डिंग की संख्या	लेन्डिंग का विवर	लेन्डिंग की संख्या	लेन्डिंग का विवर	लेन्डिंग की संख्या	लेन्डिंग का विवर
4080	9.2114	19	वासना मुकुल सहारनपुर	19	महामाला मुकुल	19	साहित्य उद्योग भवन मुकुल
36803	0.150	19	वासना मुकुल सहारनपुर	19	ब्रिक्षुपाल बिल्डर्स मुकुल	19	मिशन अयोध्या बिल्डर्स मुकुल
4235	0.868	19	वासना मुकुल सहारनपुर	19	ब्रिक्षुपाल बिल्डर्स मुकुल	19	मिशन अयोध्या बिल्डर्स मुकुल
4323	0.315	19	वासना मुकुल सहारनपुर	19	ब्रिक्षुपाल बिल्डर्स मुकुल	19	मिशन अयोध्या बिल्डर्स मुकुल
लेन्डिंग की अवधि		लेन्डिंग की अवधि		लेन्डिंग की अवधि		लेन्डिंग की अवधि	
—	—	—	—	—	—	—	—

लेन्डिंग
जून 2005

लेन्डिंग
जून 2005

लेन्डिंग
जून 2005

